

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

1. सतवीर पुत्र बुधराम

बनाम

1. बुधराम पुत्र मुत्ताराम जाति कुम्हार

2. रामेश्वर सात पुत्र बुधराम

2. मरोज पुत्री बुधराम नि० ब्रोजास

जाति कुम्हार नि० ब्रोजास

3. TDR माफरा

दावा बाबत :-

88 RTA

मुकदमा नम्बर :-

184/21

निर्णय दिनांक :-

28.10.21

वादी की ओर से वकील मुन्शीराम गोस्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील मुरजीत बिजारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.10.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

~~रानी ब्रोजा चक्र 6 धरामी के खाता न० 94/82 के मु० न० 69 के क्लिा न० 14 ता 17, 24, 25, मु० न० 70 के क्लिा न० 11, 12/1, 20/21 कुल 2.340 हे० व चक्र 1 वीरचजी के खाता न० 67/62 के मु० न० 48 के क्लिा न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8/1 कुल 0.696 हे० नदी मप खाता की खातेदारी जो प्रतिवारी न० 1 बुधराम के नाम दर्ज है मैं से प्रतिवारी न० 1 का नाम मुत्ताराम का वारीगण सतवीर, रामेश्वर सात जो धरामी वराज के खातेदार मारुमार धीरेश्वर मिं जाते हैं चुकि प्रतिवारी न० 1 व 2 ने अपना हक क्लिा वारीगण के पत्र में व्याग कर शुन्क कर सिपा गया है अतः व्याग क्लिे गये क्लिसे पर निपगानुमा पंजीपन शुल्क मदा करने व शुक्ति भूमि बैड के रदन हो रदन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुमा राजस्व रिगोर्ड उक्त क्लिप जावे।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुन्तला चौधरी

(आर० ए० एस०)

उपखण्ड अधिकारी भादरा

हनुमागढ़